बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0अ0सं0–10/अ0प्र0–8–06/20 97 पटना, दिनांक 24.2.25

सप्तदश बिहार विधान सभा का चतुर्दश सत्र दिनांक 28.02.2025 से आहूत होने की सूचना प्राप्त है। विधान मंडलीय सत्र के दौरान ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्यालय स्थित सभी प्रशाखा/कार्यालय 9.30 बजे पूर्वाहन से देर रात्रि तक विधान मंडलीय कार्यो के निष्पादन हेतु खुले रहगें, जिसमें संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है तथा वे विधान मंडलीय कार्यो का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर त्वरित गति से सुनिश्चित करेगें।

2. विधान मंडलीय सत्र के दौरान संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी सक्षम प्राधिकार से अवकाश स्वीकृत किये जाने के उपरांत ही कार्यालय/मुख्यालय छोड़ेगें।

3. सत्रावधि में रोस्टर के अनुसार पदाधिकारी/कर्मचारी अवकाश के दिन भी कार्यालय में उपस्थित रहना सुनिश्चित करेगें।

उक्त प्रस्ताव पर विभागीय अपर मुख्य सचिव का आदेश प्राप्त है।

(ह0) 24/2/25

(आदित्य प्रकाश)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–10/अ0प्र0–8–06/20 2159 पटना, दिनांक 24.2.25

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव के निजी सहायक/ उप सचिव के निजी सहायक/सभी मुख्य अभियंता/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–12/सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 24/2/25

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–10/अ0प्र0–8–06/20 2159 पटना, दिनांक 24.2.25

प्रतिलिपिः–उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह0) 24/2/25

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–10/अ0प्र0–8–06/20 2159 पटना, दिनांक 24.2.25

प्रतिलिपिः–अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि विधान मंडलीय सत्र के दौरान रोस्टर डयूटी इत्यादि की व्यवस्था करने की कृपा की जाय।

(ह0) 24/2/25

सरकार के अवर सचिव